



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1383]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928

No. 1383]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

कंपनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

का.आ. 1983(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 नवम्बर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 8, धारा 10, धारा 12, धारा 13 (कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की नई धारा 15क), धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17, का खंड (i), धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 32 प्रवृत्त होंगी।

[फा. सं. 5/27/2006-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2006

S.O. 1983(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Company Secretaries (Amendment) Act, 2006 (8 of 2006), the Central Government hereby appoints 17th day of November, 2006 as the date on which Sections 8, 10, 12, 13 (new Section 15A to the Company Secretaries Act, 1980), 14, 15, 16, clause (i) of Section 17, Sections 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 and 32 of the said Act shall come into force.

[F.No. 5/27/2006-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.